कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1516048-------------------------------दिनांक 20-11-2015-------------------

पत्र सं0 - ज्वा0कमि0-(वि0अनु0शा0) मु0/स0प0/फार्म-ई-1/ई-2/सी/2015-16/ 2123 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0

(वि0अनु0शा0 अनुभाग)

दिनांक: लखनऊ: 19 नवम्बर , 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश।

वर्तमान में रु0 50 लाख से अधिक वार्षिक बिक्रयधन की सीमा के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों द्वारा आनलाइन रुपपत्र दाखिल किया जाना अनिवार्य किया गया है। केन्द्रीय सम्व्यवहारों से संबंधित विवरण या फार्म-सी के उपयोग की सूची अथवा अनुलग्नक-सी भी निर्धारित नीति के अनुसार दाखिल किये जाने के निर्देश हैं।

विभाग में मूल्य संबर्द्धित कर प्रणाली लागू होने के उपरान्त मुख्यालय के परिपत्र संख्या- ज्वा0कमि0-(वि0अनु0शा0)मु0/स0प0/फार्म-सी सत्यापन/2013-14/119 / वाणिज्य कर, दिनांक 25-04-2014 से प्रान्त बाहर से फार्म-सी का सत्यापन कराये जाने के लिये एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर को प्रान्त एवं केन्द्र शासित प्रदेश आवंटित करते हुये उनके माध्यम से फार्म-सी का सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यालय के पत्र संख्या- ज्वा0कमि0-(वि0अनु0शा0) मु0/स0प0/फार्म-ई-1/ई-2/सी/2015-16/1082 / वाणिज्य कर दिनॉक 24-07-2015 से केन्द्रीय करयोग्य व्यापारियों के /फार्म-ई-1/ई-2/सी से आच्छादित संव्यवहारों में जॉच कराकर प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कानपुर जोन में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक के लिए रु0 54 करोड़ की धनराशि के फार्म-सी मैनुवल दाखिल किये गये हैं। व्यापारी को वर्ष 2012-13 के लिए दाखिल फार्म-सी के विरुद्व की गयी केन्द्रीय बिक्री का लाभ देते हुये केन्द्रीय करनिर्धारण आदेश पारित किया गया। करनिर्धारण आदेश पारित करने के उपरान्त संबंधित राज्यों के अधिकारियों से क्रेता व्यापारियों द्वारा खरीद सम्बन्धी सत्यापन की मांगी गयी सूचना पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कानपुर के व्यापारी द्वारा प्रान्त बाहर की जिन फर्मो से सम्व्यवहार प्रदर्शित किया गया है उनके द्वारा कानपुर के व्यापारी से कोई खरीद किया जाना स्वीकार नही किया गया है। सम्बन्धित राज्य के अधिकारियों द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रान्त बाहर की कुछ फर्मो द्वारा कानपुर के व्यापारी द्वारा जिस वस्तु की बिक्री किया जाना बताया गया है, प्रान्त बाहर के व्यापारी उस वस्तु का व्यापार नहीं करते हैं / उस वस्तु के लिए पंजीकृत नहीं हैं। प्रान्त बाहर की कतिपय फर्मो के सम्बन्ध में वहॉ के अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित व्यापारी को फार्म-सी जारी नही किए जाने से भी अवगत कराया गया है।

उपर्युक्त प्रकरण से स्पष्ट है कि फार्म-सी के सत्यापन की कार्यवाही समय से नहीं की गयी है। यदि समय रहते फार्म-सी के सत्यापन की कार्यवाही कराई जाती तो व्यापारी द्वारा फर्जी फार्म-सी के आधार पर किया गया करापवंचन रोका जा सकता था। केन्द्रीय बिक्री से संबंधित प्रकरण सभी जोन में है। अत: आपसे अपेक्षित है कि निर्देश पत्र संख्या-119 दिनांक 25-04-2014 से जारी निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन करते हुये संबंधित राज्य के फार्म-सी के सत्यापन की कार्यवाही शीघ्रता से संबंधित राज्य के लिये नामित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) वाणिज्यकर के माध्यम से समय से कराया जाना सुनिश्चित कराते हुये विपरीत पाये गये मामलों में तत्काल विधिक कार्यवाही करायी जाय।

भविष्य में जोन्स के अधीनस्थ समस्त करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा फार्म-सी के सत्यापन सम्बन्धी कार्य में बिलम्ब किया जाना प्रकाश में आने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

19/11/15

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,